मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

न्यू ब्रायलर भवन, मेन रोड न. – 3, कोटरा सुल्तानाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.)

दूरभाष (कार्यालय) (0755) 2776086, फैक्स (0755) 2776086

mplpdcbpl@rediffmail.com

निविदा प्रपत्र

वर्ष 2016-17 केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय/बुलमदर फार्म/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला भदभदा, भोपाल हेतु गेहूँ भूसा क्रय निविदा प्रपत्र

क्रमांक विवरण

1. निविदाकर्त्ता का नाम –

2. पत्राचार हेतु संपूर्ण पता –

3. दूरभाष क्र./मोबाइल नम्बर –

4. अमानत राशि –

5. बैंक का नाम –

6. बैंक ड्राफट क्र. / दिनॉक –

गेहूं भूसा हेतु प्रस्तावित दरें समस्त कर सहितः–
(प्रति क्वि. शेड में भरवाई सहित)

अ. अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2016 तक की प्रदाय दर ....

ब. नवम्बर 2016 से मार्च 2017 की प्रदाय दर ....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

न्यू ब्रायलर भवन, मेन रोड न. – 3, कोटरा सुल्तानाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.)

दूरभाष (कार्यालय) (0755) 2776086, फैक्स (0755) 2776086

mplpdcbpl@rediffmail.com

निविदा शर्ते

म. प्र. राज्य पशुघन एंव कुक्कुट विकास निगम, भोपाल के अधीन कार्यरत केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय, बुल मदर फार्म, भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, भदभदा, भोपाल के पशुधन हेतु भूसा प्रदाय

निविदा फार्म सम्बधी शर्ते :–

- निविदकर्ता को निविदा के साथ अमानत राशि रु. 2,00000 (रू. दो लाख मात्र) का बैंक ड्राफट के रुप में प्रबंध संचालक म. प्र. राज्य पशुघन एंव कुक्कुट विकास निगम भोपाल के नाम संलग्न किया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कार्यालय में नगद राशि सीधे भी जमा करायी जा सकती है। अमान्य निविदाकर्ता की अमानत राशि निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत वापिस कर दी जावेगी तथा सफलतम निविदकर्ता की अमानत राशि कार्य पूर्णतः संपादन पश्चात् वापिस की जावेगी। जिस निविदाकर्ता द्वारा पूर्व में अमानत राशि जमा कराई गई है, उन्हें पुनः अमानत राशि जमा कराने की आश्यकता नहीं है।
- निविदा कें साथ ही गेहूँ भूसा का सैंपल 500 ग्राम पोलिथिन की बंद थैली में देना अनिवार्य है, तथा भूसा का प्रदाय सैंपल के अनुसार ही करना होगा। सैपल अभाव में निविदा पर विचार नही होगा।
- निविदा फार्म स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम कार्यालय को होगा।

भूसा प्रदाय सम्बधी शर्ते –

- केंद्रीय वीर्य संग्रहालय भदभदा भोपाल पर गेहूं भूसा का प्रदाय लगभग 6000 क्वि. अप्रेल से अक्टूबर 2016 माह में एवं लगभग 2000 क्वि. माह नवबंर से मार्च माह में किया जाना है। बुल मदर फार्म हेतु अप्रेल से अक्टूबर 2016 माह में लगभग 8000 क्वि. एंव 4000 क्वि. माह नवबंर से मार्च माह में प्रदाय किया जाना है एंव भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला हेतु माह अप्रेल से अक्टूबर 2016 तक कुल 3000 क्वि. भूसा क्रय किया जाना है। भूसे की उपरोक्त मात्रा आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा की जा सकती है।

- सफलतम निविदकर्ता को गेहूं भूसा का प्रदाय आदेश के एक सप्ताह के अंदर निर्धारित समय में प्रारम्भ किया जाना होगा।
- सफलतम निविदकर्ता को गेहू भूसा केंद्रीय वीर्य संग्रहालय एंव बुलमदर फार्म एंव भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला भदभदा भोपाल तक परिवहन करना होगा। शेडों/गोडाउन में भरने का कार्य निविदाकर्ता द्वारा ही किया जाना होगा। अतः गेहूँ भूसा प्रदाय हेतु निविदा दर में ट्रक/ट्राली भरवाई, परिवहन, इलेक्ट्रानिक कांटे पर तुलवाई संस्थान पर खाली कर शेड में भरवाई सम्मिलित रहेगा।
- निविदाकर्ता द्वारा अधोलिखित शर्तो का कढाई से पालन करना अनिवार्य है। उल्लंघन करने पर आदेश निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

  कः— संस्था की गठित समिति द्वारा भूसे का वजन का सत्यापन करने पर वजन कम होने की स्थिति प्राप्ती आमान्य कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

  खः— प्रदायित गेहूँ भूसा निम्नस्तर का पाए जाने या अगर भूसे में चना, मसूर, तिलहन, तिबडा या बरसीम इत्यादि एवं कंकड, पत्थर मिट्टी की मिलावट पाई जाने पर द्वितीय निविदाकर्त्ता को गेहू भूसा प्रदाय हेतु आदेशित किया जावेगा।

- निविदाकर्ता द्वारा शेड में भरने के पूर्व अगर किसी प्राकृतिक घटना जैसे आग/असमान्य वर्षा के पानी से भूसा नष्ट या खराब होता है तो उक्त भूसे को शेड में भरने नही दिया जावेगा तथा उक्त खराब हुए भूसे की मात्रा की भरपाईसूखे भूसे से निविदाकर्त्ता को करनी होगी। नही करने पर भुगतान रोक दिया जावेगा।
- भूसा प्रदायकर्ता द्वारा भूसा प्रदायगी संस्था समिति/अधिकारी के समक्ष दिन के समय खाली करना होगा। रात्रि कालीन समय में ट्रक/ट्रॉली खाली करना सख्त मना रहेगा अन्यथा उक्त मात्रा अमान्य कर दी जावेगी।
- गेहूँ भूसा परिवहन के समय भूसा मात्रा पूर्णतः ढ़की रहना चाहिए।
- गेहूँ भूसा की मांग की अनुपात में आधी मात्रा गेहूँ भूसा प्रदायित करने के पश्चात ही भुगतान किया जावेगा।
- निविदाकर्ता द्वारा उपरोक्त शर्तो का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उल्लघंन करने पर निविदाकर्ता पर नियमो के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा निविदाकर्ता की अमानत राशि राजसात कर द्वितीय न्यूनतम निविदाकर्ता को भूसा प्रदाय हेतु आदेशित किया जावेगा।
- नियमानुसार प्रचलित दरो के अनुरूप भूसा देयको के भूगतान के समय <u>टी.डी.एस.</u>

(आय स्त्रोत पर कर कटोत्री) काटा जावेगा। जिसका प्रमाण पत्र वर्षोपरांत में प्रदाय किया जावेगा।

- भूसा प्रदायकर्ता द्वारा भूसा प्रदायगी के समय सस्थान परिसर की बिल्डिंग दीवार फेंसिंग अन्य कोइ शासकीय छति/टूट फूट उसके द्वारा नियुक्त वाहन व्यक्ति या अन्य कारणों से होती है तो उसका मूल्यांकन कर छति राशि की भुगतान उपरांत ही भूसा भुगतान होगा।

- संस्थान पर वायोसेक्यूरिटी जोन निर्मित है अतः अनाधिकृत व अधिक व्यक्ति, व्यक्तियों/श्रमिको का प्रवेश करना वर्जित है।

- भूसा प्रदाय करता द्वारा नियुक्त कर्मचारी/श्रामिको/वाहन चालको का परिसर में धुम्रपान करना सक्त मना है।

- संस्थान परिसर मे उच्च वंशावली के पशुधन रखे गये है। अतः पशुधन के पास जाना पशुधन परिसर में थुकना, धुम्रपान करना एवं अनावश्यक वर्तालाप, इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित है।

- भूसा गोदामों में भूसा मशीन से गोदामो में भरना प्रतिबंधित रहेगा।

- संस्थान परिसर की विधुत लाईन से अनाधिकृत छेडछाड करना प्रतिबंधित है।

- परिसर मे भूसा वाहन प्रवेश के समय चौकिदार को वाहन चालक का नाम, वाहन कमांक एवं साथ आऐं व्यक्यिों का व्यौरा देना अनिवार्य होगा। तदोपरांत ही वाहन परिसर में प्रवेश होने दिया जावेगा। अतः उक्त का कढाई से पालन करना अनिवार्य है। उलंघन होने पर ठेका निरस्त कर आपके विरूद्ध कर्यावाही हेतु संस्था स्वतंत्र होगी।

- शासकीय संस्थाओं के लिये किये जा रहे भूसा ट्कों/ट्रालियों के परिवहन पर अगर कोई प्रशासकीय प्रतिबंध/प्रतिबंधित क्षेत्र प्रवेश वर्जित रहता है तो इसकी स्वीकृति हेतु भूसा प्रदायकर्ता को ही अधिकृत सक्षम अधिकारियों से अनुमति लेना होगी। अनुमति हेतु संस्थान बाध्य नहीं रहेगी।

- संस्थान प्रभारियों द्वारा चाहे गये समय पर भूसा उपलब्ध कराना बंधनकारी रहेगा ताकि पशुधन को भूसा आपूर्ति बनी रहे, समय पर भूसा प्रदायित नहीं करने एंव पशुधन हेतु भूसा अनुपलब्ध रहता है तो ततसमय बाजार मूल्य से संस्था प्रभारी कय करेंगे , जिसकी बढी हुई अंतर राशि भूसा प्रदायकर्ता से वसूली जावेगी अतः इसका कडाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

<u>सहमति पत्र</u>

मैं ....आतमज श्री ....
..................पता ....   उपरोक्त शर्तो को ध्यान से पढकर व समझकर ही तदानुसार केंद्रीय वीर्य संग्रहालय एंव बुलमदर फार्म एंव भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, भदभदा भोपाल हेतु भूसा प्रदाय करने हेतु सहमति दे रहा हूॅ उपरोक्त सभी शर्ते मान्य है। शर्तो का उलंल्घन करने पर मेरा प्रदायगी आदेश निरस्त करने हेतु आप पूर्णतः स्वतंत्र है एवं प्रदायगी के समय छति होने पर छति पूर्ति राशि का भुगतान करने के बाद ही भुगतान करने हेतु भी आप स्वतंत्र है एवं छति पूर्ति नही करने पर मेरे भुगतान से काटने हेतु आप स्वतत्रं है।

नविदाकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान/ दिनॉक   निविदाकर्ता का नाम

——————————————

मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

न्यू ब्रायलर भवन, मेन रोड न. – 3, कोटरा सुल्तानाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.)

दूरभाष (कार्यालय) (0755) 2776086, फैक्स (0755) 2776086

mplpdcbpl@rediffmail.com

अनुबंध पत्र

(अनुबंध पत्र को 100 रु. मात्र के नॉनजूडिशयल स्टांप पेपर में हस्ताक्षर कर भरें)

मै उपरोक्त दर से केद्रीय वीर्य संगहालय / बुलमदर फार्म, भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला भदभदा भोपाल को गेहूॅ भूसा निविदा की शर्तो के अनुरुप प्रदाय करने हेतु सहमत हूॅ। मेरे द्वारा रु. 2,00000 (रूपये दो लाख मात्र) अमानत राशि मात्र डी.डी./नगद प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एंव कुक्कुट विकास निगम भोपाल के पक्ष मे जमा की गयी है। (डी डी कमांक /................/दिनॉक ....) निविदा स्वीकृत होने पर भूसा प्रदाय के दौरान शर्तो का उलंल्घन करने की स्थिति में मेरी अमानत राशि राजसात् कर ली जावे।

दिनॉक

(निविदाकर्त्ता के हस्ताक्षर)

निविदाकर्ता का नाम ....

ग्राम/शहर ....

तहसील ....

जिला ....

फोन/मोबाइल नम्बर ....